पत्र संख्या-बी-4-वाहन-आउट सोर्सिंग से वाहन व्यवस्था// 4344 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उ0प्र0।

(स्था0 अराज0 अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 18 दिसम्बर, 2014

ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0 टी0) वाणिज्य कर

मुख्यालय लखनऊ।

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 के अनुमोदनोपरान्त वाणिज्य कर विभाग में खण्ड कार्यालयों / कार्पोरेट सर्किल के उपयोगार्थ दिनांक 31-03-2015 तक की अवधि के लिये निविदा के माध्यम से वाहन किराये पर प्राप्त किये जाने हेतु निविदा सूचना विभिन्न समाचार पत्रों में दिनांक 19-12-14 को प्रकाशित करायी जा रही है।

उक्त के क्रम में जिन खण्डों / कार्पोरेट सर्किल के उपयोगार्थ वाहन किराये पर लिया जाना है, उनकी सूची, वाहन किराये पर लेने के लिये निविदा की शर्तें, तकनीकी विड (प्रारुप-1) एवं वित्तीय विड (प्रारुप-2) इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि इसे आज ही विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करानें का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्रीरामदेव

DC(IT)
18-12-14

2857
18-12-14

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ
अल्पकालीन निविदा सूचना

वाणिज्य कर विभाग के उपयोगार्थ जनपदों में स्थापित खण्ड कार्यालयों में निम्न विवरण के अनुसार किराये पर स्वीकृति की तिथि से दिनांक 31-03-15 तक (यह तिथि बढ़ायी या घटायी जा सकती है) वाहनों (टाटा सूमों/ बोलेरो) की आवश्यकता है -

नोएडा-06वाहन, गाजियाबाद-08वाहन, लखनऊ-04वाहन, रायबरेली-02वाहन, कानपुर-06वाहन, इटावा-01वाहन, वाराणसी-02वाहन, आजमगढ़-01वाहन, आगरा-04वाहन, इलाहाबाद-03वाहन, सहारनपुर-01वाहन, मेरठ-02वाहन, बरेली-01वाहन, अमरोहा-01वाहन, बहराईच-01वाहन, बाराबंकी-01वाहन, ललितपुर-02वाहन, फिरोजाबाद-01वाहन, एटा-01वाहन, गोरखपुर-02वाहन

1- नये वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी। वाहन चालक एवं निविदादाता के पास मोटर वेहिकल एक्ट के अन्तर्गत अपेक्षित सभी लाइसेन्स / पंजीयन अनिवार्य है।

2- वाहन चालक का वेतन, वाहन की मरम्मत एवं वाहन के ईंधन (डीजल / मोबिल आयल आदि) पर होने वाला व्यय का दायित्व स्वंय वाहन मालिक का होगा एवं वाहन 24 घंटे विभाग के स्वामित्व में रहेगा।

3- निविदादाता का पंजीकरण नियमानुसार परिवहन विभाग, आयकर विभाग, सर्विस टैक्स आदि में होना चाहिए।

जो व्यक्ति / एजेन्सी उक्त शर्तों के आधार पर अपना वाहन किराये पर देना चाहतें है, वे उपरोक्त दर्शायें गये जनपद के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क देकर निविदा फार्म प्राप्त कर सकते है। निविदा फार्म के साथ रु0 5,000.00 का बैंक ड्राफ्ट (कमिश्नर, वाणिज्य कर उ0 प्र0 के नाम) जमा करेंगें। निविदा जमा करनें की अंतिम तिथि 03-01-15 को सायंकाल 3.00 बजे तक होगी एवं उसी दिन सायंकाल 04.00 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष टेण्डर समिति द्वारा निविदायें खोली जायेंगी। निविदा स्वीकृति का अधिकार जनपद के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर का होगा।

सफल निविदादाता को रु0 100.00 के गैर न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर यह अनुबन्ध करना होगा कि निविदादाता को निविदा की सभी नियम एवं शर्ते मान्य है।

निविदा की विस्तृत शर्ते इत्यादि जनपद के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन)/ असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। विभाग की वेबसाइट www.up.comtax.up.nic.in पर भी उक्त शर्ते आदि उपलब्ध है।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खण्डों / कार्पोरेट सर्किल का विवरण, जिसके उपयोगार्थ वाहन किराये पर लिये जाने है:-

क्र0सं0	जोन का नाम	क्र0सं0	खण्ड संख्या
01	*02*	*01*	*03*
1	गौतमबुद्धनगर जोन	01	नोयडा खण्ड-08
		02	नोयडा खण्ड-10
		03	गौतमबुद्ध नगर खण्ड-01
		04	गौतमबुद्ध नगर खण्ड-02
		05	गौतमबुद्ध नगर खण्ड-03
02	गाजियाबाद जोन-प्रथम	06	गाजियाबाद खण्ड-04
		07	गाजियाबाद खण्ड-05
		08	गाजियाबाद खण्ड-07
03	गाजियाबाद जोन-द्वितीय	09	गाजियाबाद खण्ड-13
		10	गाजियाबाद खण्ड-16
		11	गाजियाबाद खण्ड-17
		12	गाजियाबाद खण्ड-19
04	लखनऊ जोन -प्रथम	13	रायबरेली खण्ड-01
		14	रायबरेली खण्ड-02
		15	लखनऊ खण्ड-04
05	लखनऊ जोन -द्वितीय	16	लखनऊ खण्ड-15
		17	लखनऊ खण्ड-20
06	कानपुर जोन -प्रथम	18	कानपुर खण्ड-01
		19	कानपुर खण्ड-06
		20	कानपुर खण्ड-08
07	कानपुर जोन-द्वितीय	21	कानपुर खण्ड-16
		22	कानपुर खण्ड-18
		23	कानपुर खण्ड-20
08	इटावा जोन	24	इटावा खण्ड-01
		25	फिरोजाबाद खण्ड-1
09	वाराणसी जोन-प्रथम	26	वाराणसी खण्ड-11
10	वाराणसी जोन-द्वितीय	27	आजमगढ़ खण्ड-5
		28	वाराणसी खण्ड-20
11	आगरा जोन	29	आगरा खण्ड-10
		30	आगरा खण्ड-16
		31	आगरा खण्ड-18
		32	आगरा खण्ड-19
12	इलाहाबाद जोन	33	इलाहाबाद खण्ड-03
		34	इलाहाबाद खण्ड-08
		35	इलाहाबाद खण्ड-12
13	सहारनपुर जोन	36	सहारनपुर खण्ड-11
14	मेरठ जोन	37	मेरठ खण्ड-10
		38	मेरठ खण्ड-12
15	बरेली जोन	39	बरेली खण्ड-03
16	मुरादाबाद जोन	40	अमरोहा खण्ड-02
17	फैजाबाद जोन	41	श्रावस्ती
		42	बाराबंकी खण्ड-01
18	झॉसी जोन	43	ललितपुर खण्ड-01
		44	ललितपुर खण्ड-02
19	अलीगढ़ जोन	45	एटा खण्ड-01
20	गोरखपुर जोन	46	खण्ड-01
		47	खण्ड-04
क्र0सं0	जोन का नाम	क्र0सं0	कार्पोरेट सर्किल
01	*02*	*01*	*03*
01	गौतमबुद्धनगर जोन	01	नोएडा कार्पोरेट सर्किल
02	गाजियाबाद जोन-द्वितीय	02	गाजियाबाद कार्पोरेट-द्वितीय
03	लखनऊ जोन -प्रथम	03	लखनऊ कार्पोरेट -प्रथम

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ
किराये के वाहन लिये जाने हेतु निविदा की शर्ते
संख्या..............दिनांक ....

1- मुहरबन्द निविदाओं को जनपद के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर के कार्यालय में दिनांक 03-01-2015 सांयकाल 03.00 बजे तक जमा किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन सांयकाल 03.00 बजे उक्त कार्यालय में खोला जायेगा। निविदा प्राप्त होने की अन्तिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा स्वंय प्राप्त करायी जायेगी ।

2- निविदा से सम्बन्धित समस्त डाकूमेन्ट्स यथा परिवहन विभाग में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, आयकर पंजीयन संख्या तथा सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या आदि की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न किया जाना आवश्यक है। उक्त अभिलेखों एवं निविदा की दरों हेतु मुहरबन्द लिफाफों का प्रयोग किया जायेगा ।

3- निविदा के साथ अरनेस्ट मनी के रुप में रु0 5,000.00 (रुपया पॉच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 के पक्ष में देय हो, संलग्न किया जाये। बिना अरनेस्ट मनी के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

4- निविदादाता फर्म से सम्बन्धित टेक्निकल विड एक लिफाफे में तथा दरों से सम्बन्धी फाइनेन्सियल विड दूसरे लिफाफे में बन्द करते हुए दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे में सीलबन्द कर जमा किये जायेगें। बड़े लिफाफे पर साफ अक्षरों में " टैक्सी हायर करने सम्बन्धी निविदा " लिखा होना चाहिए। निविदा दिनांक 03-01-2015 को सांयकाल 04.00 बजे खोली जायेगी। निविदा खोले जाने के दौरान निविदादाता उपस्थित रह सकते है।

5- निविदा अस्वीकृत होने की दशा में अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

6- नये वाहनों को प्राथमिकता दी जायेगी एवं वाहन का मेक मॉडल 2012 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

7- निविदा की जो दरें अंकित की जाये वे समस्त व्ययों जैसे चालक, ईंधन, वाहन की मरम्मत आदि / चार्जेज सहित दी जाये। उनका अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा उसमें कटिंग / ओवरराइटिंग / ओवर टाइपिंग / इरेंजिंग न हो। अनुमोदित दर पर नियमानुसार सर्विस टैक्स अलग से दिया जायेगा।

8- जनपद के डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर द्वारा बिना कारण बताये किसी अथवा सभी निविदाओं को अस्वीकृत / निरस्त किया जा सकता है।

9- भुगतान की जाने वाली धनराशि पर नियमानुसार स्रोत पर आयकर की कटौती कर भुगतान किया जायेगा।

10- सफल निविदादाता फर्म को सिक्योरिटी मनी के रुप में रु0 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट, जो कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 के पक्ष में देय हो, डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर के कार्यालय में जमा करना होगा, जो अनुबन्ध अवधि में वाणिज्य कर, विभाग के पक्ष में बंधक रहेगा।

11- निविदा स्वीकृत के 03 दिन के अन्दर सम्बन्धित निविदादाता को जनपद के कार्यालय में स्वीकृत वाहन को उपलब्ध कराना होगा।

12- अनुबन्ध दिनांक 31-03-2015 तक के लिये किया जायेगा किन्तु इस अवधि को बढ़ाया / घटाया जा सकता है।

13- भुगतान हेतु बिल 02 प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा ।

14- वाणिज्य कर विभाग द्वारा दिये गये समय एवं स्थान पर वॉछित मेक एवं अच्छी Condition की गाड़ी न पहुॅचने पर अथवा रास्ते में गाड़ी खराब होने पर फर्म द्वारा यदि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करायी जाती है तो विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण कटौती फर्म को किये जाने वाले भुगतान से कर ली जायेगी, सेवाएं निरन्तर असन्तोषजनक पाये जाने पर सिक्योरिटी की धनराशि रु0 50,000.00 जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें वाणिज्य कर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

15- वाहन से संबंधित सभी आवश्यक देय (सभी प्रकार के कर) पूर्णतया जमा होने चाहिए। मोटर वेहकिल एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक सभी कागजात वाहन के साथ उपलब्ध होना चाहिए एवं वाहन, कम्प्रेहन्सिव बीमा से आच्छादित होना चाहिए।

16- समय-समय पर लागू न्यूनतम पारिश्रमिक मूल्य एक्ट, कर्मचारी प्रोविडेन्ट फन्ड एक्ट आदि के अन्तर्गत चालक को देय पारिश्रमिक मूल्य के भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी पूर्णतया फर्म की होगी।

17- स्वीकृत वाहन का कार्यक्षेत्र जनपद के संबंधित कार्यालय से प्रस्थान के उपरान्त उसी कार्यालय तक वापसी के मध्य दूरी / समय आगणित की जायेगी न कि वाहन के गैराज (विश्राम स्थल) से प्रस्थान के उपरान्त गैराज वापसी के मध्य दूरी / समय आगणित की जायेगी। फर्म को एक लॉगबुक का भी रख रखाव करना होगा जिस पर प्रत्येक यात्रा की दूरी का अंकन किया गया हो एवं उस पर वाहन का प्रयोग किये गये अधिकारी के हस्ताक्षर होगें। उक्त लॉगबुक को बिल के समय प्रस्तुत करना होगा ।

18- स्वीकृत वाहन का उपयोग संबंधित कार्यालय द्वारा मासिक आधार पर एक पूर्ण दिवस में 10 घंटे हेतु किया जायेगा। उक्त कार्य हेतु प्रस्थान समय/ वापसी समय निर्धारित नहीं होगा। स्वीकृत वाहन की कार्यावधि कार्यदिवस एवं गैर कार्यदिवस में 10 घंटे की होगी। (सप्ताह के सभी दिनों हेतु)। वाहन का उपयोग फाइनेन्सियल विड में निर्धारित अधिकतम समय से भी अधिक समय तक उपयोग किया जा सकता है, जिसके लिये निर्धारित चार्जेज देय होगें ।

19- कार्यावधि के समय देय पार्किग चार्जेस/टोल टैक्सेस/ इन्ट्री टैक्सेस/अन्तर्राज्य टैक्सेस / सर्विस टैक्सेस की प्रतिपूर्ति वाहन के किराये के बिल से किया जायेगा।

20- कार्यावधि में चालक के पास किराये पर लिये गये वाहन के सभी आवश्यक वैध कागजात होने चाहिए। जैसे-ड्राईविंग लाइसेन्स, पेड रोड टैक्सेस, पंजीयन, प्रदूषण, बीमा के कागजात आदि । अनुबन्ध की अवधि में उक्त के संदर्भ में यदि विभाग के पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई जुर्माना पारित किये जाने अथवा किसी वाहन दुर्घटना होने की स्थिति में उसकी क्षतिपूर्ति दिये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके भुगतान का दायित्व विभाग का नहीं होगा।

21- कार्यावधि में यदि कोई वाहन निविदा की नियम व शर्ते का उल्लंघन करती है तो रु0 500.00 प्रतिदिन प्रति वाहन की दर से चार्ज किया जायेगा । यदि निविदा के नियम व शर्ते का उल्लंधन बार-बार किया जाता है तो उसी समय अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी ।

22- कार्यावधि में वाहन को स्वच्छ दशा में रखा जायेगा । वाहन की सामान्य दशा (भौतिक स्थिति) अच्छी होनी चाहिए । वाहन की सीट कवरें अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए एवं पूर्णतया साफ-सुथरे कवर से ढकी होनी चाहिए। यदि वाहन की स्थिति खराब पायी जाती है तो किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

23- फर्म के वाहन अथवा फर्म / ड्राईवर की लापरवाही के कारण किसी प्रकार की हानि होने, क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने, डकैती होने पर उसकी जिम्मेदारी विभाग की नहीं होगी ।

24- उपरोक्त सभी शर्ते निविदादाता को अनिवार्य रुप से मान्य होगी।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

प्रपत्र मूल्य रु0 200.00

निविदा प्रपत्र (प्रारुप-1)
(तकनीकी विड)

प्रेषक,

सेवा में,

डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेन्ट कमिश्नर (प्रशासन)
वाणिज्य कर, (संबंधित जनपद का नाम)।

विषय : खण्ड कार्यालय के प्रयोगार्थ टैक्सी हायर किये जाने हेतु अल्पकालीन निविदा फर्म से सम्बंधित सूचना (तकनीकी विड)

क0सं0	विवरण	अंकन स्पष्ट अक्षरों में		
1	निविदादाता की फर्म का पूरा नाम			
2	फर्म का पता			
3	फर्म का फोन नम्बर			
4	निविदादाता फर्म के प्रोप्राइटर का नाम व पता			
5	निविदादाता फर्म के प्रोप्राइटर का मोबाइल नम्बर			
6	परिवहन विभाग में ट्रैवल एजेन्सी के रुप में पंजीकरण की संख्या (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)			
7	आयकर पंजीयन संख्या (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)			
8	सेवा कर पंजीयन संख्या (पंजीयन की छायाप्रति संलग्न करें)			
9	वाहनों की सूची मेक मॉडल (वर्ष 2012 के पूर्व का न हो) एवं पंजीयन सहित।			
10	वाहन चालक का ड्राइंविंग लाइसेन्स वैध होना चाहिए (ड्राईविंग लाइसेन्स की छायाप्रति संलग्न करें)			
11	पूर्व में सरकारी विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / निगमों / स्वायत्तशासी संस्थाओं इत्यादि में टैक्सी की सुविधा दिये जाने का अनुभव एवं पिछले कितने वर्षो से कार्य कर रहे है, का उल्लेख एवं आवश्यक अभिलेख संलग्न करें। उक्त हेतु न्यूनतम 03 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है।	क्र0 सं0	वर्ष	संस्था/ विभाग जिनके साथ अनुबंधित रहे है
12	संदर्भ विज्ञापन संख्या	संख्या------------------------ दिनांक ------------------		
13	निविदा शुल्क रु0 200.00 का विवरण	रसीद संख्या--------------------- दिनांक ---------------------		
14	अर्नेस्ट मनी रु0 5,000.00 (रु0 पॉच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक	संख्या ----------------------- दिनॉक-------------------------		

मै /हम वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ /करते है तथा निर्धारित प्रारूप पर अपनी दरें भर कर धरोहर शुल्क सहित भेज रहा हूँ / भेज रहें है , जिसकी प्रमाणिता स्वरुप निविदा फार्म पर हस्ताक्षर कर दिया है /दिये हैं ।

दिनॉक ....   हस्ताक्षर निविदादाता

संलग्नक की संख्या.............................   नाम व पता मुहर सहित

कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0 प्र0 लखनऊ

निविदा प्रपत्र (प्रारुप-2)

मासिक आधार पर दरें

वित्तीय विड

गाड़ी का नाम	मासिक आधार पर (2000 किमी0/300 घंटे) (ईंधन, मरम्मत, चालक सहित)	अतिरिक्त घंटों हेतु	अतिरिक्त किलोमीटर हेतु	प्रति रात्रि चार्जेस (जनपद से बाहर की दशा में)
टाटा सूमों (डीजल)				
बोलेरों (डीजल)				

दिनांक..............................

संलग्नक की संख्या...........

हस्ताक्षर निविदादाता

नाम व पता मुहर सहित